#### GOVERNMENT OF INDIA



### असाधारण EXTRAORDINARY

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90] दिल्ली, बृहस्पितवार, मई 9, 2019/वैशाख 19, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 41 No. 90] DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2019/VAISAKHA 19, 1941 [N.C.T.D. No. 41

# भाग—IV PART—IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

## अधिसूचना

दिल्ली. 9 मई. 2019

सं.फा. 21(80)/आरआर/प्रशि.प्रशा./जेडी/डीटीई/2017/352.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)/परीक्षा नियंत्रक के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए नियम बनाते हैं, अर्थातः

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (1) इन नियमों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) / परीक्षा नियंत्रक भर्ती नियमावली, 2019 कहा जायेगा।
  - (2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धित, आयु सीमा तथा योग्यताएं :— उक्त पदों की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- **4**. **अयोग्यता** :- ऐसा कोई भी व्यक्ति
  - (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या
  - (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

2397 DG /2019 (1)

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शक्ति :--जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
- 6. बचाव:— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

# अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर		सीधी भर्ती वाले
				गैर चयन पद	उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) / परीक्षा नियंत्रक	* 01 (2019) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	ंक' वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित, अलिपिकीय	` '	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यता ।	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त	
7	8	9	१५। का प्रातशत	11
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्निति द्वारा	पदोन्नितः  ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सिहत वेतन मैट्रिक्स में स्तर —11 (67,700 — 2,08,700/—रुपये) में कार्यरत प्रशिक्षण विंग के सहायक निदेशक /प्रधानाचार्य (आईटीआई/बीटीसी)/सहायक प्रशिक्ष सलाहकार में से पदोन्नित । नोट — 1 जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नित के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अविध के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो (इनमें से जो भी कम हो) और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अविध अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ

		सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
		हा पूरा कर ला ह।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
12	13
'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) :	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
1. अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष	
2.मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे. दि.स. – सदस्य	
<ol> <li>सचिव,प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा,रा.रा.क्षे.दि.स. –सदस्य</li> </ol>	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, शिव प्रताप सिंह, सचिव (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा)

# DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

Delhi, the 9nd May, 2019

F.No. 21(80)/RR/TRG.ADMN./JD/DTTE/2017/352.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the constitution, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby in consultation with Union Public Service Commission makes rules regulating the method of Recruitment to the post of Joint Director (Training)/Controller of Exams in Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely.-

- 1. **Short title and commencement.** (i) These rules may be called the Joint Director (Training)/Controller of Exams, Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Recruitment Rules -2019.
  - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, its classification and Level in the Pay Matrix.** The number of said post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of Recruitment, age limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be specified in the columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.
- 4. Disqualifications.- No Person,-
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
  - shall be eligible for the appointment to the said post;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to Relax.-** Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.-** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, ex –Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the central Government from time to time in this regard.

# **SCHEDULE**

Name of the Post	No. of Post	Classification	Level in the Pay	Whether Selection or Non-
			Matrix	Selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Joint Director	01* (2019)	General Central	Level-12	Selection
(Training)/Controller of	* Subject to variation	Service,	(Rs.78,800 -	
Exams	dependent on	Group – "A",	2,09,200)	
	workload	Gazetted,		
		Non-Ministerial		

Age limits for direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/abso rption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion	Promotion: From amongst Assistant Director/ Principal (ITI/BTC)/Assistant Apprenticeship Adviser of Training Wing working in Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the Pay Matrix with five years' regular service in the grade.  Note 1: where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):  1. Chairman/ Member UPSC — Chairman 2. Chief Secretary, GNCT of Delhi — Member 3. Secretary, Training and Technical Education, GNCT of Delhi — Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi SHEO PRATAP SINGH, Secy., TTE

# अधिसूचना

दिल्ली, 9 मई, 2019

सं.फा. 21(81)/आरआर/प्रशि. प्रशा./डब्ल्यूएसए-एसए/डीटीटीई/2017/353.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मशाला परिचारक /भंडार परिचारक के पद के भर्ती नियमों से संबंधित सरकार की दिनांक 1 जनवरी 1960 की अधिसूचना सं0 फा0 4(62)/58—आर एण्ड एस के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्ण की गई या किए जाने के लिए हटाये जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कर्म''गाला परिचारक के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं: अर्थात.—

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :- (i) इन नियमों को कर्मशाला परिचारक भर्ती नियमावली, 2019 कहा जाये।
- (ii) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धित, आयु सीमा तथा योग्यताएं इत्यादि:— उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति
- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति / पत्नी है; या
- (ख) जिसने जीवित पत्नी / पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

- 5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :— जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
- 6. **बचाव** :— इस विनियम में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

## अन्सची

			or 7,721		
पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	क्या चयन पद या	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के
			स्तर	गैर चयन पद	लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
कर्मशाला	103* (2019)	सामान्य केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	गैर चयन	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच*
परिचारक	*इसमें परिवर्तन	सेवा समूह 'ग'	स्तर—2 (रूपये		*पद अखिल भारतीय खुली
	कार्यभार पर	अराजपत्रित /	19900-63200 / -)		प्रतियोगिता के माध्यम से भरे
	निर्भर है।	अलिपिकीय			जाने की स्थिति में आयु सीमा
					18 वर्ष एवं 27 वर्ष के बीच
					होगी ।
					(केन्द्र सरकार द्वारा
					समय—समय पर जारी
					अनुदेशों / आदेशों के अनुसार
					सरकारी अभ्यर्थी के लिए 40
					वर्ष तक शिथिलनीय)।
					नोट-1: आयु सीमा निर्धारित
					करने के लिए मान्य तारीख
					वही होगी जो अन्य उम्मीदवारों
					के आवेदन पत्र प्राप्त करने की
					अंतिम तिथि है, न कि, असम,
					मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,

		मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड,
		त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व
		कश्मीर राज्य की लददाख सब
		डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का
		लाहौल व स्पीति जिला तथा
		चंबा जिले की पांगी सब
		डिवीजन व अण्डमान निकोबार
		द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के
		उम्मीदवारों के लिए निर्धारित
		अंतिम तारीख है।

				- '
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त	समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया
	11 60 11		पदों का प्रतिशत	
7	8	9	10	11
(i) मान्यता प्राप्त विद्यालय / बोर्ड / विश्वविद्यालय से विज्ञान और गणित सहित 10वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से राष्ट्रीय / राज्य ट्रेड प्रमाण- पत्र या मान्यता प्राप्त संस्थान से राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण -पत्र ।	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : नहीं परन्तु 10वीं कक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति ही पदोन्नित के पात्र होंगे।	दो वर्ष	50 प्रतिशत पदोन्नित द्वारा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नित : ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित स्तर — 1, 18000— 56900 / —रूपये में प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के समस्त मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)। टीप:—1 — जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नित के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो (इनमें से जो भी कम) और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। टीप: —2 — पदोन्नित के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01 जनवरी .2016 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, जिस तिथि से सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू

		की गई है, यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड
		पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।

यदि कोई विभागीय पदोन्नित समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक
	सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
12	13
1. 'ग' वर्ग विभागीय पदोन्नति / स्थायीकरण सिमति	लागू नहीं ।
(i) निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षे. दि.स.—	
अध्यक्ष	
(ii) विशेष निदेशक / अपर निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,	
रा.रा.क्षे.दि.स.– सदस्य	
(iii) प्रशासनिक अधिकारी , प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षे.	
दि.स.– सदस्य	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, शिव प्रताप सिंह, सचिव (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा)

#### **NOTIFICATION**

Delhi, the 9th May, 2019

No.F.21(81)/RR/TRG.ADMN./WSA-SA/DTTE/2017/353.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Government notification No. F.4(62)/58-R&S dated the 01<sup>st</sup> January, 1960, relating to recruitment rules to the posts of Workshop Attendant/Store Attendant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make rules regulating the method of recruitment to the post of Workshop Attendant of the Industrial Training Institutes in the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely.-

- 1. Short title and commencement.- (i) These rules may be called the Workshop Attendant, Recruitment Rules, 2019.
  - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of post, its classification and level in pay matrix. The number of said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4. Disqualifications.- No Person,-
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
  - shall be eligible for the appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.-** Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.-** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, ex–Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the central Government from time to time in this regard.

# **SCHEDULE**

Name of the	Number of	Classification of	Level in the	Whether	Age limits for Direct
Post	Posts	the Post	Pay Matrix	selection post	Recruits
				or non	
				selection post	
1	2	3	4	5	6
Workshop	103* (2019)	General Central	Level-2 in	Non-	Between 18 years and 25
Attendant	* Subject to	Service, Group 'C'	the Pay	Selection	years*.
	variation	(Non-Gazetted),	Matrix		* In case of post being filled
	dependent on	Non-Ministerial	Rs. 19900-		up by all-India Open
	workload		63200/-		Competition, it would be
					between 18 years and 27 years.
					(Relaxable for government
					candidate upto 40 years in
					accordance with instructions/
					order issued by Central
					Government from time to
					time)
					<b>Note-1:</b> The crucial date for
					determining the age limit
					shall be the closing date for
					receipt of applications from
					candidates except for the
					closing date prescribed for
					those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh.
					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,
					Ladakh Division of J&K
					State, Lahaul & Spiti
					District and Pangi Sub
					Division of Chamba District
					of Himachal Pradesh,
					Andaman & Nicobar Islands
					& Lakshadeep.

Educational and other	Whether age and	Period of	Method of	In case of Recruitment by
qualification for direct	educational	probation	recruitment	promotion/deputation/
recruits	qualification		whether by direct	absorption,gradesfrom
	prescribed for direct		recruitment/promot	whichpromotion/
	recruits will apply in		ion/ deputation/	deputation/absorption to be
	case of promotion		absorption and	made
			percentage of the	
			vacancies to be	
			filled by various	
			methods	
7	8	9	10	11
,	O	,	10	11
(i) 10 <sup>th</sup> pass with Science	Age: No	Two years.	50% by promotion	Promotion:
(i) 10 <sup>th</sup> pass with Science and Math from	_		· ·	
(i) 10 <sup>th</sup> pass with Science and Math from recognized	Age : No		50% by promotion	Promotion:
(i) 10 <sup>th</sup> pass with Science and Math from recognized School/Board/	Age : No Educational		50% by promotion 50% by direct	Promotion : All Multi Tasking Staff
(i) 10 <sup>th</sup> pass with Science and Math from recognized School/Board/ University.	Age : No Educational Qualification:		50% by promotion 50% by direct	Promotion: All Multi Tasking Staff (MTS) of Department of
(i) 10 <sup>th</sup> pass with Science and Math from recognized School/Board/	Age: No Educational Qualification: No, but those		50% by promotion 50% by direct	Promotion: All Multi Tasking Staff (MTS) of Department of Training & Technical
(i) 10 <sup>th</sup> pass with Science and Math from recognized School/Board/ University. (ii) National/State Trade	Age: No Educational Qualification: No, but those persons shall be eligible for promotion, who are		50% by promotion 50% by direct	Promotion: All Multi Tasking Staff (MTS) of Department of Training & Technical Education in Level 1,
(i) 10 <sup>th</sup> pass with Science and Math from recognized School/Board/ University. (ii) National/State Trade Certificate from a	Age: No Educational Qualification: No, but those persons shall be eligible for		50% by promotion 50% by direct	Promotion: All Multi Tasking Staff (MTS) of Department of Training & Technical Education in Level 1, Rs. 18000-56900/- with
(i) 10 <sup>th</sup> pass with Science and Math from recognized School/Board/ University. (ii) National/State Trade Certificate from a recognised Institution.	Age: No Educational Qualification: No, but those persons shall be eligible for promotion, who are		50% by promotion 50% by direct	Promotion: All Multi Tasking Staff (MTS) of Department of Training & Technical Education in Level 1, Rs. 18000-56900/- with three years of regular

Certificate from a	qualifying/ eligibility
recognised	service are being considered
institution	for promotion, their seniors
	would also be considered
	provided they are not short
	of the requisite
	qualifying/eligibility service
	by more than half of such
	qualifying/eligibility service
	or two years, whichever is
	less and have successfully
	completed their probation
	period for promotion to the
	next higher grade alongwith
	their juniors who have
	already completed such
	qualifying/eligibility
	service.
	<b>Note 2</b> : for the purpose of
	computing minimum
	qualifying service for
	promotion, the service
	*
	rendered on a regular basis
	by an officer prior to 1 <sup>st</sup>
	January 2016, the date from
	which the revised pay
	structure based on the 7th
	central pay commission
	recommendations has been
	extended, shall be deemed to
	be service rendered on the
	corresponding grade
	pay/pay scale extended
	based on the
	recommendations of the pay
	commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13
1. Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of :	Not applicable
i. Director, Department of Training and Technical Education, GNCT of Delhi – Chairman	
ii. Special Director / Additional Director, Department of Training and Technical Education, GNCT of Delhi – Member	
iii. Administrative Officer, Department of Training and Technical Education, GNCT of Delhi – Member.	

## अधिसूचना

# दिल्ली, 9 मई, 2019

सं.फा. 21(81)/आरआर/ट्रेनिंग एडिमन/डब्ल्यूएसए-एसए/डीटीटीई/2017/354.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मशाला परिचारक/भंडार परिचारक के पद के भर्ती नियमों से संबंधित सरकार की दिनांक 1 जनवरी 1960 की अधिसूचना सं. फा. 4(62)/58—आर एण्ड एस के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्ण की गई या किए जाने के लिए हटाये जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भंडार परिचारक के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं: अर्थात्.—

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :- (i) इन नियमों को भंडार परिचारक भर्ती नियमावली, 2019 कहा जाए।
  - (ii) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर के साथ संबद्ध इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धित, आयु सीमा तथा योग्यताएं इत्यादि:—उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति
  - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति / पत्नी है; या
  - (ख) जिसने जीवित पत्नी / पित के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

- 5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :-जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
- 6. बचाव :-इस विनियम में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

## अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद या गैर	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	चयन पद 5	6
भंडार परिचारक	06* (2019) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित / अलिपिकीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—2 (रूपये 19900—63200 / —)	लागू नहीं	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच*  *पद अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भरे जाने की स्थिति में आयु सीमा 18 वर्ष एवं 27 वर्ष के बीच होगी । (केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों / आदेशों के अनुसार सरकारी अभ्यर्थी के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय)।  नोट—1: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो अन्य उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, न कि, असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन,

		हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति
		जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब
		डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप
		समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के
		लिए निर्धारित अंतिम तारीख है।

ति / नमावेशन नी हो तो जिनसे
नी हो तो जिनसे
जिनसे
नियुक्ति /
या जाना
हीं

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग
है?	का परामर्श लिया जाना है।
12	13
1. 'ग' वर्ग विभागीय स्थायीकरण समिति :	लागू नहीं
(i) निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.	
–अध्यक्ष	
(ii) विशेष निदेशक / अपर निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी	
शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.— सदस्य	
(iii) प्रशासनिक अधिकारी , प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,	
रा.रा.क्षे.दि.स.–सदस्य	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, शिव प्रताप सिंह, सचिव (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा)

#### **NOTIFICATION**

Delhi, the 9nd May, 2019

- **No. F. 21(81)/RR/TRG.ADMN./WSA-SA/DTTE/2017/354.**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Government notification No. F.4(62)/58-R&S dated the 01<sup>st</sup> January, 1960, relating to recruitment rules to the posts of Workshop Attendant/Store Attendant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make rules regulating the method of recruitment to the post of Store Attendant of the Industrial Training Institutes in the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely.-
- 1. Short title and commencement. (i) These rules may be called the Store Attendant, Recruitment Rules, 2019.
  - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of post, its classification and level in pay matrix. The number of said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4. Disqualifications.- No Person,-
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
  - shall be eligible for the appointment to the said posts:
  - Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- **5. Power to relax.-** Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.-** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, ex–Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of the	Number of	Classification of	Level in the Pay	Whether	Age limits for Direct
Post	Posts	the Post	Matrix	selection post	Recruits
				or non-	
				selection post	
1	2	3	4	5	6
Store	06* (2019)	General Central	Level-2 in the	Not applicable.	Between 18 years and
Attendant.	* Subject to	Service, Group 'C'	Pay Matrix		25 years*.
	variation	(Non-Gazetted),	Rs. 19900-		*In case of post being
	dependent on	Non-Ministerial.	63200/-		filled up by all-India Open
	workload.				Competition, it would be
					between 18 years and 27
					years.
					(Relaxable for government
					candidate upto 40 years in
					accordance with
					instructions/order issued
					by Central Government
					from time to time)
					Note 1: The crucial date
					for determining the age
					limit shall be the closing

	date for receipt of
	applications from
	candidates except for the
	closing date prescribed
	for those in Assam,
	Meghalaya, Arunachal
	Pradesh, Mizoram,
	Manipur, Nagaland,
	Tripura, Sikkim, Ladakh
	Division of J&K State,
	Lahaul & Spiti District
	and Pangi Sub Division
	of Chamba District of
	Himachal Pradesh,
	Andaman & Nicobar
	Islands & Lakshadeep.

Educational and other	Whether	Period of	Method of recruitment : whether	In case of Recruitment
qualification for direct	age and	probation	by direct recruitment/promotion/	by promotion /
recruits	educational		deputation/absorption and	deputation / absorption,
	qualification		percentage of the vacancies to be	grades from which
	prescribed		filled by various methods	promotion/deputation/
	for direct			absorption to be made
	recruits will			
	apply in			
	case of			
	promotion			
7	8	9	10	11
Essential	Not	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.
(i) Matriculation with	applicable.		<b>Note:</b> Vacancies caused by the	
Science subjects			incumbent being away on	
(Physics and			deputation or long illness or	
Chemistry).			study leave or under other	
(ii) Two years			circumstances for a duration of	
experience in Store			one year or more may be filled	
Keeping in			by the appointing authority on	
Engineering			deputation basis from officers of	
Undertaking or			the Central Government/State	
Hardware stores and			Government, holding analogous	
knowledge of			posts on regular basis in the	
maintenance of store			parent cadre /department and	
ledger.			possessing the educational and	
Desirable			other qualification prescribed for	
Preferably ITI trained			direct recruit under column	
in Mechanical and			No. 7.	
Electrical Trades.				

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13
Group 'C' Departmental Promotion Committee for Confirmation consisting of:	Not applicable.
i. Director, Department of Training and Technical Education, GNCT of Delhi- Chairman	

ii. Special Director / Additional Director, Department of Tr Education, GNCT of Delhi	aining and Technical - Member	
iii. Administrative Officer, Department of Training and Technical Delhi	Education, GNCT of - Member	

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, SHEO PRATAP SINGH, Secy., TTE